पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति मैहला में निम्नलिखित अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री मनीष कुमार	01-04-2022 से 06-02-2023
2.	श्री राज कुमार	07-02-2023 से 20-02-2023
3.	श्री देवी सिंह	21-02-2023 से 09-04-2023
4.	श्री रमनवीर चौहान	10-04-2023 से 31-03-2024

2. अध्यक्षा

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती गिलमा देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

3. सचिव

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री कयूम खान	01-04-2022 से 25-08-2023
2.	श्री दर्शन सिंह	26-08-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि (₹ लाखों में)**
01.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर।	5.1	10.87
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹79.38 लाख का अवरोधन।	6.1	79.38
03.	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	9.1	2.28
04.	पंचायत समिति द्वारा अनियमित रूप से सभा निधि का हस्तांतरण करने बारे	9.2(i)	1.70
05	पंचायत समिति द्वारा अनियमित क्रय करने बारे।	9.2(ii)	0.81
06	पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी किराया के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे।	9.5	0.25

07	पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के खान-पान का अनियमित व्यय करने बारे।	9.6	0.16
08	e-Gramswaraj में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	10.4	591

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 30-10-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिस संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कारवाही न करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	
2.	4	---	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
3.	4.1	अनिर्णीत	-
4.	5	अनिर्णीत	-

5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	7.1,7.2	अनिर्णीत	-
8.	8	अनिर्णीत	-
9.	09	अनिर्णीत	-
10.	10	अनिर्णीत	-
11.	11	निर्णीत	वसूली कर ली गई है
12	12,12.1	अनिर्णीत	-
13	13	अनिर्णीत	-
14	14	अनिर्णीत	-
15	15	अनिर्णीत	-
16	16	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28-10-2024 से 05-11-2024 तक पंचायत समिति मैहला के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	06/2022	06/2022
2.	2023-2024	06/2023	11/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति मैहला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 05-11-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति मैहला, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

4.1 **(क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान** पंचायत समिति मैहला, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

i). स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**6339767**	**606142**	**6945909**	**859956**	**6085953**
2023-24	**6085953**	**60532**	**6146485**	**701157**	**5445328**

ii). अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	13919885	11969785	25889670	14941067	10948603
2023-24	10948603	3944444	14893047	6954452	7938595

कुल योग (1+2) ₹5445328.00 + ₹7938595.00 = ₹13383923

(ख) पंचायत समिति मैहला, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र०सं०	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-24
1.	50100321713904,	HDFC BANK CHAMBA	SFC	6872086.00
2.	50100293561240,	HPGB MANGLA	RGSA	12804.00
3.	50100312829099,	HDFC BANK CHAMBA	15TH FC	5978552.00
4.	11753194962	HPSCB CHAMBA	GENERAL	1607855.00
			Cash In hand	0.00
			TOTAL	₹14471297

अन्तर (अ-ब) ₹13383923- ₹14471297= ₹-1087374

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹10.87 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति मैहला, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹**1087374** का अन्तर पाया गया था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिससे धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹79.38 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट - 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹7938595 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित

पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.64 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित समिति के खातों में जमा करवाया गया है।

पंचायत समिति मैहला के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा छ: दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹64000/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2022-2023	40000	01	1000	12000	52000		52000
2023-2024	52000	01	1000	12000	64000	64000	64000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक -04-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर समिति द्वारा अप्रभावी निगरानी का

द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितता ओं बारे :-

पंचायत समिति मैहला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार समिति के पास कुल छ: दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आवंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1.अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों/खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे कि बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया है एवं किरायेदारों के साथ किये गए अनुबंधों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पंचायत समिति की सम्पत्ति (दुकानों) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

4. समिति द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर पर नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि 64000 वसूली हेतु शेष थी।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना:-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति मैहला के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹2.27 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति मैहला, द्वारा राशि ₹**227817**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, पंचायत समिति को न केवल

बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount
1	**nil/23.03.22**	**SF**	**Gurbax lal & Bros museum road chamba**	**rajai cover & bedsheet pillow etc**	**10500**
2	nil/08.04.22	RGSA	KAMAL KUAMAR S/O BASESAR	SANATIZING OF HALL	9000
3	**NIL/O8.04.22**	**SFC**	**Shiv kripa infotech old MH Road Dhangu Peer Pathankot**	Furnture Purchase	**193992**
4	**NIL/09.06.22**	**SFC**	**SAMBIYAL ENTERPRISES CHAMBA**	**PRINTER CARTAGES**	**14325**
				Total	**227817**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 04-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 (i) पंचायत समिति द्वारा राशि ₹1.70 लाख अनियमित रूप से सभा निधि का हस्तांतरण करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 93 के (ख,ग,घ)** में पंचायत समिति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यो के नियम प्रावधित हैं जिसके अंतर्गत कार्य का निष्पादन पंचायत समिति की गठित कार्य समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय या यदि संकर्म की की लगत 5 लाख से अधिक है तो कुटेशन अथवा निविदाएँ आमंत्रित करके संविदाकार के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। किन्तु पंचायत समिति द्वारा नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा सभा निधि से कार्य का निष्पादन स्वंय न करके उक्त कार्य की राशि को ग्राम पंचायत मैहला को निम्नलिखित विवरण अनुसार हस्तांतरित किया गया था तथा न ही उकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये थे जिस कारण किये गये व्यय की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। तथा किया गया भुगतान अनियमित था।

वाउचर संख्या	मद	स्वीकृत की गई राशि	राशि जिसे जारी की गई	कार्य का नाम	जारी की गई राशि राशि
NIL/09.06.22	SABHA FUND	50000	GP MEHLA	RENOVATION AE OFFICE ROOM	50000
NIL/09.06.22	SABHA FUND	50000	GP MEHLA	RENOVATION OF PANCHAYAT SMITI CHAIRMAN CABIN	20000
NIL/04/28.04.23	SABHA FUND	150000	GP MEHLA	UPGRADATION OF GUIST HOUSE P/S MEHLA	100000
					170000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 04-11-2024 के सन्दर्भ में सचिव द्वारा उत्तर दिया गया कि पंचायत समिति की बैठक में सम्बन्धित विकास कार्यों को करवाने हेतु संकर्म समिति का गठन करने के लिए सर्व सम्मति नही बनी थी जिस कारण कार्य को ग्राम पंचायत मैहला द्वारा करवाया गया।

दिया गया उत्तर तर्कसांगत नही है क्योंकि समिति के सभा निधि से किये जाने वाले विकास कार्य केवल समिति की संकर्म समिति अथवा पंजीकृत निकाय या अगर कार्य की लगत 5 लाख से अधिक है तो निविदा को आमंत्रित करके संविदाकार द्वारा निष्पादित किया जाना था। उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए अन्यथा किये गये व्यय की राशि को सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

9.2 (ii) पंचायत समिति द्वारा राशि ₹0.81 लाख अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 में वर्णित परिशिष्ट –ख में पंचायत समिति द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्र सख्या 1 पर वर्णित सामग्री (एयर कंडीशनर के क्रय) हेतु राशि ₹49900 का भुगतान किया गया था जबकि उक्त सामग्री के क्रय से सम्बन्धित कोई प्रावधान नही है जोकि अनियमित है इसके अतिरिक्त क्र ० स० 2 पर वर्णित सामगी पंचायत समिति द्वारा वाउचर संख्या निल दिनांक 9.06.22 को ELENA ZXS नामक सामान/ स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त क्रय सामग्री की राशि 31000.00 को खंड विकास अधिकारी के कार्यालय को हस्तांतरित किया गया है तथा उक्त राशि किस सामान/ स्टोर हेतु जारी की है इसका भी पूर्ण विवरण नही दिया गया था तथा जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल वाशिंग मशीन का था इसके अतिरिक्त उक्त सामग्री के क्रय करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नही किया गया था। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

क्रस	वाउचर /दिनांक	मद	आपूर्तिकर्ता	सामग्री का विवरण	राशि
1	NIL/09.06.22	SFC	M/s Amir Chand Gian chand	purchase of AC	49900
2	**nil/09.06.22**	**SFC**	**BDO MEHLA**	**PURCHASE OF ELENA Zxs**	**31000**
				Total	**80900**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-15 दिनांक 04-11-2024 द्वारा सचिव पंचायत समिति मैहला को अवगत करवाया गया था जिसके सम्बन्ध में पंचायत समिति द्वारा कोई प्रतिउतर नही दिया गया

अतः अनियमित क्रय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करके सभा निधि में जमा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9.3 ग्राम पंचायतों को जारी 15 वां वित्त की अनुदान राशि को PFMS के माध्यम से न जारी करके RTGS(ऑफलाइन) जारी करने बारे।

15 वां वित् आयोग के दिशा निर्देशों के तहत पंचायत को भेजी जाने वाली अनुदान राशि को PFMS के माध्यम से BPDP के आधार पर भेजा जाना सुनिश्चित है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा मैन्युअल रोकड़ बही अनुसार माह जून 2023 में 15 वां वित् आयोग कि अनुदान राशि ₹1197000.00 को PFMS के माध्यम से न भेजकर RTGS के माध्यम से भेजा गया था जिस कारण उक्त हस्तांतरित की गई राशि की प्रविष्टियाँ ऑनलाइन रोकड़ बही (e- GRAM SAWARAJ) में नही पाई गई थी और न ही उक्त राशि को BPDP में पाया गया था और न ही उक्त हस्तांतरित की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमिता है। जिससे उक्त हस्तांतरित की गई राशि के उपयोग होने की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अकेक्षण अधियाचना संख्या -15 दिनांक 04.11.24 के संबंध में सचिव पंचायत समिति को अवगत करवाया गया था जिसका कोई भी प्रतिउतर नही अंकेक्षण को नही दिया गया अतः उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए। तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9.4 पंचायत समिति द्वारा वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित अनुदानों की राशि ₹31.62 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करना।

पंचायत समिति मैहला के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में ग्राम पंचायतों को (रोकड़बही) **परिशिष्ट – 4** अनुसार हस्तांतरित राशि ₹31.62 लाख के उपियोगिता प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कि उक्त राशि की व्यय की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 04-11-2024 द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, उक्त हस्तांतरित राशि से सम्बन्धित अभिलेखों को सम्बन्धित पंचायत से प्राप्त कर लिए जायेगा। अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है अत: उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किये जाये।

9.5 पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी किराया राशि ₹0.25 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(2)10/2004-05-H दिनांक 07-09-2021 के द्वारा पंचायत समिति निधि में से समिति के अध्यक्ष को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु निधि की उपलब्धता के अधीन महीने में अधिकतम 1000 किलोमीटर तक टैक्सी किराया दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पंचायत समिति मैहला के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत समिति की अध्यक्षा को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु टैक्सी किराये पर ली गई थी जिसके एवज में राशि ₹25101 का भुगतान दिनांक 12.12.22 को बंटू राम सपुत्र टेको को किया गया था। आगे अंकेक्षण अवलोकन में यह पाया गया कि, वाहन की लोग बुक व अन्य अभिलेख एवं यात्रा का उद्देश्य, निरीक्षण किये गये विकास कार्यों का विवरण

नहीं दिया गया था जिससे कि यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो यात्रा दर्शाई गई थी केवल अधिकारिक थी तथा उन स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु ही की गई। इसके अतिरिक्त यात्रा में जो दूरी दर्शाई गई है उसमें अत्यधिक कटिंग की गई है जिससे कि अभिलेख में किसी प्रकार की अनधिकृत प्रविष्टि की सम्भावना को भी नकारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बार-बार आग्रह उपरान्त भी पंचायत समिति का बजट प्राक्कलन को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त व्यय वर्णित दिशा-निर्देशों (निधि की उपलब्धता) के अंतर्गत ही किया गया है अथवा नहीं ?

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount	REMARK
	Nil/12.12.22	SF	Bantu Ram S/o Sh Teko PO Bhadiya Chamba	Hiring of Taxi	25101	log book not produced

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-14 दिनांक 04-11-2024 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, इस मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.6 पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के खान-पान राशि ₹0.16 लाख का अनियमित व्यय करने बारे :-

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि द्वारा निम्न विवरण अनुसार सभा निधि से ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था जिस हेतु राशि ₹16150.00 का भुगतान जोगिन्दर सिंह को जल पान (दोपहर के खाने हेतु व चाय पान) के लिया किया गया था जोकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 में वर्णित

प्रावधानों (परिशिष्ट –ख) में ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों / कर्मचारियों हेतु जलपान का कोई उलेख नही था। जोकि पंचायत समिति के सभा निधि पर वैध प्रभार नही था जोकि अनियमित व अनुचित था

वाउचर संख्या	मद	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि
47/24.11.23	SF	JOGINDER SINGH PO MEHLA	50 LUNCH *2 DAYS =100 LUNCH & TEA SNACKS	16150
			total	16150

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 04-11-2024 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, राशि को पंचायती राज विभाग में सचिवों के धरने के चलते सिलाई अध्यापिका को प्रशिक्षण दिया गया था

दिया गया उत्तर उचित प्रतीत नही होता है क्योंकि पंचायत समिति में वर्णित प्रावधानों में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई वर्णन नही है । अत: उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.7 पंचायत समिति द्वारा भुगतानों में वाउचर संख्या आवंटित किये बिना तथा बिना संयुक्त हस्ताक्षर के भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47(1) त के अनुसार पंचायत द्वारा किसी भी भुगतान को लेखों का उचित वर्गीकरण और पूरी विशिष्टियां बताने वाले वाउचर द्वारा समर्थित किया जायेगा। तथा नियम 49 में संयुक्त हस्ताक्षर के नियम प्रावधित हैं

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा व्यय, दावों के भुगतान के समय कोई भी वाउचर संख्या आवंटित नहीं की गई थी और न ही यह बिल

रजिस्टर में प्रविष्ट किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियम के प्रतिकूल है अपितु इससे दोहरे भुगतान की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता इसके अतिरिक्त बिलों को संयुक्त हस्ताक्षर सचिव तथा अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर द्वारा अदायगी को स्वीकृत किया जाना था किन्तु बिलों को मात्र सचिव के हस्ताक्षर से ही पारित किया जा रहा था जोकि नियमों की अवहेलना है जिसे नयोचित ठहराया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

10 समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु स्टॉक रजिस्टर/रजिस्टरों का रख-रखाव न करने

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति उपरान्त उसकी स्टॉक रजिस्टर में तुरंत इन्द्राज एवं नियम 72 के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु भार-साधक अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव निर्धारित प्रारूपों (क से घ) में किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के लेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा समय-समय पर जो स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था उसे इन्द्राज करने हेतु कोई भी स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नकारा जा सकता है।

क्रय स्टॉक/स्टॉक का समिति में रिकोर्ड न पाया जाना आपत्तिजनक व संदिग्ध है। अत: मामले में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति मैहला, के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है । परन्तु समिति द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका । ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती । इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत समिति द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं । अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

10.2 पंचायत समिति के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

पंचायत समिति मैहला, के नमूना अंकेक्षण में पंचायत समिति द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, समिति के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 04-11-2024 द्वारा समिति सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे DPO 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 e-Gramswaraj में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹591 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹59109961 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹60448884
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्त शेष	**₹13383923**
अन्तर	₹59109961

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा **e-Gramswaraj** सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है क्योंकि **e-Gramswaraj** में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति मैहला, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 04-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की को पूर्णत: नकारा जा सके।

23 JAN 2025

687- 690

फा0/50

(कृष्ण लाल नेगी) 23.01.2025
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 107/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

(कृष्ण लाल नेगी) 23.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

फा0/50

परिशिष्ट -2　　　　पैरा संख्या 4.1(क)(iii)　　　　के संदर्भ में

Grant in aid in r/o　　" Panchayat Smiti Mehla "　　Dev. Block MEHLA　　Distt Chamba HP-176311

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	13919885	11969785	25889670	14941067	10948603
2023-24	10948603	3944444	14893047	6954452	7938595

Sr Audit

सचिव
पंचायत समिति मैहला
जिला चम्बा (हि0प्र0)

परिशिष्ट -1	पैरा संख्या 4.1(क)(i)	के संदर्भ में			
Financial Position of Own Sources in r/o		" Panchayat Smiti Mehla "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba H.P	
Year	**Op.Balance**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	6339767	606142	6945909	859956	6085953
2022-23	6085953	60532	6146485	701157	5445328

सचिव
पचायत समिति मैहला
जिला चम्बा (हि0प्र0)

परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 5.1 व 6.1 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o		" Panchayat Smiti Mehla "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176311	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SFC	5192702	1674712	6867414	3350653	3516761
2	RGSA	174992	37745	212737	182620	30117
3	15TH FC	8552191	10257328	18809519	11407794	7401725
	TOTAL	13919885	11969785	25889670	14941067	10948603

Grant in aid in r/o		" Panchayat Smiti Mehla "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176314	Year Ended	2023-24
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SFC	3516761	2565003	6081764	2013500	4068264
2	RGSA	30117	484	30601	15950	14651
3	15TH FC	7401725	1378957	8780682	4925002	3855680
	TOTAL	10948603	3944444	14893047	6954452	7938595

1	Balance as per cash book as on 31.03.2024 SFC					
	Cash Book Balance on 31.03.2024		SFC			4068264
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	50100321713904,	HDFC BANK CHAMBA	SFC			6872086
					Diffrence	-2803822

2	Balance as per cash book as on 31.03.2024 RGSA					
	Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA			14651
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	50100293561240,	HPGB MANGLA	RGSA			12804
					Diffrence	1847

3	Balance as per cash book as on 31.03.2024		15th fc			
	Cash Book Balance on 31.03.2024					3855680
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch				
	50100312829099,	HDFC BANK CHAMBA				5978552
					Diffrence	-2122872

4	Balance as per cash book as on 31.03.2024 own sources					
	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources			5445328
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	11753194962	HPSCB CHAMBA	GENERAL			1607855
					Diffrence	3837473
					NET DIFFRENCE	-1087374

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced except 15th fc cash book produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .and only one cash book for all funds matained eccept except 15th fc .

मार्गदर्शिका-4 पैरा संख्या 9.4 के अंतर्गत में

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/23		0.00	0.00	136000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Panihar Nirman Janoti

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/24		0.00	0.00	153000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Toilet Nirman GMS Sirena

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/25		0.00	0.00	100000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Panihar Nirman Kathotu

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/26		0.00	0.00	151008.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Dren work Basodhan

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/27		0.00	0.00	145000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain work Guwad Seeta Ram House Sameep

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/28		0.00	0.00	177000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Thalla Nala

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/29		0.00	0.00	242000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Banadu Tapoon

15/06/2022	XVFC/2022-23/P/30		0.00	0.00	130000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Ukhdeli Khad

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/31		0.00	0.00	117000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain work Kamani

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/32		0.00	0.00	100000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission

8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain Nirman Digo

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/33		0.00	0.00	150000.(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Public Toilet Apper Bhuja

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/34		0.00	0.00	140000.(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Uteep Nala

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/35		0.00	0.00	100000.(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain Nirman Ranpani

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/36		0.00	0.00	82000.(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Pani Vyavstha GPS Bandla

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/37		0.00	0.00	193000.(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Lakha Nala

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Chilli Nala

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/44		0.00	0.00	176000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Draha Nala Guwad

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/45		0.00	0.00	158000.00

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Check Dam Groundi Gat Nala

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/38		0.00	0.00	142000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain Nali Bhakrotha

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/39		0.00	0.00	136000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain Nali Nirman Proh

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/40		0.00	0.00	117000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Drain Nali Nirman Ghehra

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/41		0.00	0.00	117000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Publivc Toilet Village Gehra

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/42		0.00	0.00	100000.0(

Classification :- Scheme Name-XV Finance Commission
8782-101-27-Advance

Particulars :- Panihar Nirman Chakhla Luddu

16/06/2022	XVFC/2022-23/P/43		0.00	0.00	99992.0(

Total

3162000